न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 04/2024

अपीलार्थीगण

(1)रूपाराम पुत्र पुनमाजी, जाति–भील, निवासी–चैक पोस्ट के पास, मण्डार, तह. रेवदर
(2)झेणाराम पुत्र पुनमाजी, जाति–भील, निवासी–चैक पोस्ट के पास, मण्डार, तह. रेवदर
(3)सोनाराम पुत्र पुनमाजी, जाति–भील, निवासी–चैक पोस्ट के पास, मण्डार, तह. रेवदर
(4)रेवाराम पुत्र पुनमाजी, जाति– भील, निवासी– चैक पोस्ट के पास, मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला– सिरोही
2. रमेशकुमार पुत्र रामाजी, जाति–भील, निवासी–मण्ड़ार, तह. रेवदर,जिला–सिरोही
3. दलपत पुत्र रामाजी, जाति– भील, नाबालिग जरिये कुदरती वली भाई रमेशकुमार पुत्र रामाजी, जाति– भील, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर
4. रेखा पुत्री रामाजी, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
5. चंदा पुत्री रामाजी, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
6. बबी पुत्री रामाजी, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
7. भारती पुत्री रामाजी, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
8. भावना पुत्री रामाजी, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
9. कंचन पुत्री रामाजी, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
10. मुकेश पुत्र कान्ति, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
11. जयन्ति पुत्र कान्ति, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
12. सेजु पुत्री कान्ति, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
13. टीना पुत्री कान्ति, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
14. दाडीदेवी पत्नी कान्ति, जाति– भील, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर
15. काली पुत्री गलबाजी पत्नि मफाराम, जाति–भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर
16. जोजू उर्फ जबु पुत्री गलबाजी पत्नि कालाजी, जाति– भील, निवासी– सोनेला, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
17. केवाराम पुत्र गलबाजी, जाति–भील, निवासी–मण्ड़ार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
18. रणछोड पुत्र गलबाजी, जाति– भील, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर
19. नागजी पुत्र गलबाजी, जाति– भील, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के वारिसान एवं कायम मुकाम :–
    - 19/1. पवनीबेन पत्नि नागजी, जाति– भील, निवासी–मण्ड़ार, तहसील– रेवदर
    - 19/2. भँवरलाल पुत्र नागजी, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तहसील– रेवदर
    - 19/3. चंदा पुत्री नागजी, जाति–भील, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर
20. नरसा पुत्र गलबाजी, जाति– भील, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर
21. हंसा पुत्र गलबाजी, जाति– भील, निवासी– मण्डार, तहसील– रेवदर
22. शारदा पुत्री गलबाजी पत्नि प्रताप, जाति–भील, निवासी–जेतावाडा, तह. रेवदर
23. कुखी पुत्री गलबाजी, जाति– भील, निवासी–मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
24. निशाबेन पत्नि राजूरामजी, जाति– भील, निवासी मण्डार, तहसील रेवदर
25. पप्पुराम पुत्र परखाजी, जाति–भील, निवासी–राजगढ, तह. रेवदर, जिला–सिरोही
26. सोमाराम पुत्र रूपाजी, जाति–भील, निवासी–मीठन, तह. रेवदर, जिला सिरोही
27. मुकेशकुमार पुत्र तलसारामजी, जाति–भील, निवासी–मण्डार, तहसील–रेवदर

"अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थीगण की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सुर्यवीर सिंह आढा, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5, 8 से 11, 14, 16 से 18, 19/1 से 19/3, 20, 22, 23 व 27 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से

—: निर्णय :— दिनांक 20 जून, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील, उप तहसीलदार, मण्ड़ार, जिला– सिरोही द्वारा स्वीकृत कृषि भूमि विभाजन प्रस्ताव क्रमांकःभू.अ./2016/299 दिनांक 03–5–2016 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से पेश किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन/नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5, 8 से 11, 14, 16 से 18, 19/1 से 19/3, 20, 22, 23 व 27 की ओर से अधिवक्ता श्री सुर्यवीर सिंह आढा उपस्थित हुये व इनकी ओर से धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 6, 7, 12, 13, 15, 21, 24 से 26 को सम्मन/नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि यह कि राजस्व ग्राम मण्डार, पटवार हल्का मण्डार, तहसील रेवदर, जिला सिरोही में खाता संख्या 606 तथा 607 खसरा संख्या 1619 से 1624, 2837, 2849, 2856 कुल कित्ता 9 रकबा 51–03 बीघा (क्रमशः 24–16 बीघा व 26–07 बीघा) कृषि भूमि आई हुई है, जिसमें अपीलार्थी का 1/2 आधा हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 2 से 19 का 1/2 आधा हिस्सा खातदोरी हक अधिकार का था, उक्त भूमि पक्षकारान के पुश्तैनी है, जो पुनमा पुत्र मूलाजी भील 1/2 तथा गलबा पुत्र मूलाजी भील 1/2 आधे हिस्से के खातेदार थे। उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी है, जिस पर सभी खातेदार संयुक्त रूप से काबिज होकर भूमि का उपयोग व उपभोग करते रहे है। अपीलार्थीगण, पुनमाजी भील के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं वारिस है अपीलार्थीगण की माता का देहान्त हो चुका है। गलबाजी पुत्र मूलाजी भील ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे, जिनकी प्रथम पत्नि का नाम चुनी पत्नि गलबाजी भील था तथा दुसरी पत्नि का नाम जमना पत्नि गलबाजी भील का देहान्त हो चुका है। गलबाजी की प्रथम पत्नि चुनी के गलबाजी से तीन पुत्र क्रमशः रामा, कान्ति तथा अर्जुन हुए तथा दो पुत्रीयों क्रमशः काली व जोजू का जन्म हुआ था। गलबाजी की प्रथम पत्नि से उत्पन्न संतानों का पेढी पत्रक अनुसार गलबा पुत्र मूलाजी व चुनी पत्नि गलबाजी भील के तीन पुत्र रामा, कान्ति व अर्जुन (अर्जुन नाऔलाद फौत) व दो पुत्रियां काली व जोजू है। रामा पुत्र गलबाजी के पुत्र रमेश, दलपत व पुत्री रेखा, चन्दा, बबी, भारती, भावना व कंचन है एवं कान्ति पुत्र गलबाजी के पुत्र मुकेश व जयन्ति एवं पुलियां सेजू, टीना व दाडीदेवी है। इसी तरह, गलबा पुत्र मूलाजी व जमना पत्नि गलबाजी भील के पुत्र केवा, रणछोड, नागजी, नरसा व हंसा व पुत्रियां शारदा व कुखी हैं। गलबाजी के पुत्र नागजी के वारिसान पवनी बेन पत्नि नागजी, भंवरलाल पुत्र नागजी व चंदा पुत्री नागजी भील है। वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान् के मध्य कभी भी नहीं हुआ है। प्रत्यर्थीगण से मिलकर पटवारी हल्का द्वारा छलपुर्वक खसरा संख्या 1005 तथा 1096 का गलत व विधि विरूद्ध तरीके

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

से विभाजन स्टाम्प पत्र तैयार किया गया व अपीलार्थीगण के वृद्धावस्था तथा अनपढ होने का अनुचित फायदा उठाकर धोखे से विभाजन स्टाम्प पत्र व अन्य कागजात पर अंगुठा निशान करवाये है, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा विभाजन हेतु कोई सहमति नहीं दी है एवं अपीलार्थीगण अनपढ होने से कौनसी जमीन किसके हिस्से में आ रही है, इसकी भी कोई जानकारी अपीलार्थीगण नहीं दी गई तथा न ही अपीलार्थीगण कभी भी उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष उपस्थित हुये है। पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थीगण व गवाहन के साथ मिलीभगत कर अपीलार्थीगण की जानकारी के बिना उक्त दस्तावेज उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष प्रस्तुत कर एक तरफा अपीलार्थीगण की पीठ पीछे विभाजन के सम्बध में आदेश जारी करवा दिया, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। अपीलार्थीगण के हिस्से में पहछे की तरफ की भूमि रखी गई है तथा प्रत्यर्थीगण को हाईवे की तरफ तथा आबादी तरफ की कीमती भूमि दी गई है, विभाजन ''मिट्स एण्ड बाउण्ड'' के आधार पर नहीं किया गया है, जिससे अपीलार्थीगण को अनुचित हानि पहुचाने का प्रयास किया गया है, प्रत्यर्थीगण को अनुचित लाभ पहुँचाने के आशय से अपीलार्थीगण के पीठ पीछे गलत कार्यवाही की गई है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। गलत विभाजन के आधार पर राजस्व अभिलेख में विभाजन दर्ज हो जाने तथा प्रत्यर्थीगण द्वारा कीमती भूमि का विक्रय व आवासीय रूपान्तकरण करने की कार्यवाही करने पर अपीलार्थीगण द्वारा जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन गलत व विधि विरूद्ध तरीके से छलपुर्वक अपीलार्थीगण के छलपुर्वक अंगुठा प्राप्त कर करवा दिया गया है जबकि अपीलार्थी को उक्त विभाजन के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। विभाजन के अनुसार मौके पर कभी भी मौके काबिज नहीं हुए, आज भी संयुक्त रूप से काबिज है। अपीलाथीगण, उप तहसीलदार मण्डार के समक्ष कभी भी उपस्थित नहीं हुए तथा न ही स्वीकृत प्रस्ताव में कभी भी सहमति जाहिर की है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण के बिना जानकारी के अपीलार्थी के साथ छल कर विभाजन विलेख पर बिना जानकारी दिए अपीलार्थीगण के अंगुठा प्राप्त किए है व उसे उप तहसीलदार, मण्ड़ार के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत करवा दिया। जिससे अपीलार्थीगण के हितों पर विपरित प्रभाव पड रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(2)(i)(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार आपसी सहमति से विभाजन हेतु पक्षकारान् की उपस्थिति में विभाजन करार किया जाना आवश्यक है तथा करार का निष्पादन कर उसे तस्दीक करवाया जाना आवश्यक है, उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया विभाजन करार पर छलपुर्वक बिना जानकारी दिए अपीलार्थीगण के अंगुठा करवाए गए, जिसे नोटेरी या किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा तस्दीक नहीं किया गया, जिससे कानुनन करार वैद्य नहीं होते हुए भी बिना जॉच किए आदेश पारित किया गया है, जो गलत व विधि विरुद्ध है। विभाजन हेतु तहसीलदार स्वयं को मौके पर जाकर नियम 18, नियम 19, नियम 21 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम, 1956 के तहत कार्यवाही कर विभाजन किया जाना आवश्यक है, उक्त शर्त एक आज्ञापक शर्त है, फिर भी प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अधिकारीयों से मिलावट कर उक्त गलत व विधि विरूद्ध विभाजन अपीलार्थीगण को क्षति कारित करने हेतु किया गया है। उप तहसीलदार के समक्ष विभाजन करार पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है तथा उसके बाद उप तहसीलदार नोट शीट पर विभाजन करार को पक्षकारान् को समझाकर व मौके पर विभाजन कर उसे स्वीकृत किया जाना होता है लेकिन इस मामले में पटवारी हल्का द्वारा ही तहसीलदार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए तथा उप तहसीलदार, मण्ड़ार ने जांच किये बिना ही व खातेदारों से सहमति की तस्दीक किये बिना ही विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया है। प्रत्यथीगण व हल्का पटवारी ने अपीलार्थीगण के छलपूर्वक अंगूठा प्राप्त कर भूमि का

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विभाजन करवाया है, जिसकी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नही रही है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने से कुछ समय पूर्व प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि का रुपान्तरकरण करवाने की कार्यवाही करने व हाईवे सडक व आबादी तरफ की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने पर अपीलार्थीगण द्वारा एतराज किया गया तब अपीलार्थीगण को उक्त स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव की जानकारी हुई। अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। अपीलार्थीगण के हितों की सुरक्षा हेतु अपीलार्थीगण की अपील को अन्दर मियाद लिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जावे एवं अपीलार्थीगण की अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा स्वीकृत कृषि भूमि विभाजन प्रस्ताव क्रमांकःभू.अ./2016/299 दिनांक 03—5—2016 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5, 8 से 11, 14, 16 से 18, 19/1 से 19/3, 20, 22, 23 व 27 के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि का सभी खातेदारों व पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार को प्रस्तुत किया गया, जिसे उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा दिनांक 03—5—2016 को स्वीकृत किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर सभी खातेदारों की उपस्थिति में एवं सहमति से विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये गये है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण ने विभाजन प्रस्ताव से सहमत होकर अपने अपने अंगूठा निशान/हस्ताक्षर किये है। उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद प्रत्यर्थीगण के हक हिस्से आई भूमि पर प्रत्यर्थीगण काबिज काश्त है व अपीलार्थीगण के हिस्से में आई भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज काश्त है। भूमि के विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद अपीलार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने अपने हिस्से की भूमि का बेचान भी कर दिया है। उक्त भूमि के विभाजन के कार्यवाही खातेदारों की सहमति से की गई है एवं अपीलार्थीगण ने भी सहमति देकर अपने अंगूठा निशान किये है, जिससे विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत होने का पूर्व से ही अपीलार्थीगण को पूर्ण जानकारी है, लेकिन अब भूमि की कीमतें बढ जाने से अपीलार्थीगण के मन में लालच आ गया है, इस कारण से अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की नियत से मनगंढत कथनों के आधार पर यह अपील जानबूझकर देरी से प्रस्तुत की है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम व अपीलार्थीगण की अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज किये जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि के सह खातेदारों द्वारा सहमति से भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार को प्रस्तुत किये, जो उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा दिनांक 03—5—2016 को स्वीकृत किये गये है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि उप तहसीलदार, मण्ड़ार द्वारा ग्राम मण्ड़ार, पटवार हल्का मण्डार, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही के खसरा संख्या 1620 रकबा 01—14 बीघा, खसरा संख्या 1621 रकबा 3—14 बीघा, 1622 रकबा 2—03 बीघा, 1623 0—04 बीघा, 1624 रकबा 6—12 बीघा, खसरा संख्या 2837 रकबा 1—05 बीघा, खसरा संख्या 2849 रकबा 2—19 बीघा, खसरा संख्या 2856 रकबा 6—05 बीघा व 1619/2 रकबा 22—07 बीघा कुल किता 9 रकबा 47—03 बीघा कृषि भूमि के स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव क्रमांकःभू.अ./2016/299 दिनांक 03—5—2016 को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत यह अपील, इस न्यायालय में दिनांक 23–01–2024 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत करने से अपीलार्थीगण द्वारा उक्त विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही या बदनियति प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि के सह खातेदारों द्वारा उनकी उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर बंटवाड पत्र/प्रस्ताव तैयार करवाकर उप तहसीलदार, मण्ड़ार को प्रस्तुत किये गये, जो उप तहसीलदार, मण्ड़ार के आदेश क्रमांकःभू.अ./2016/299 दिनांक 03–5–2016 के द्वारा स्वीकार व सत्यापित किये जाकर विभाजन पत्र के अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये है। उक्त विभाजन पत्र/प्रस्ताव पर उक्त कृषि भूमि के सह खातेदार अपीलार्थी रुपाराम, झेणाराम, सोनाराम व रेवाराम के अंगूष्ठ निशानी किये हुये है एवं बतौर गवाह, उक्त विभाजन पत्र/प्रस्ताव पर श्री थानाराम पुत्र लवजीराम जी पुरोहित, निवासी– मण्ड़ार व सुरताराम रेबारी पुत्र तेजाराम रेबारी, निवासी– पेरवा, पोस्ट, लुणोल, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही के हस्ताक्षर किये हुये है तथा सह खातेदारों की पहचान पटवारी हल्का द्वारा की गई है। उक्त विभाजन पत्र/प्रस्ताव पर हल्का पटवारी, मण्ड़ार व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विभाजन प्रस्ताव रेकर्ड, मौके व काश्तकारों की सहमति के अनुसार स्वीकृत योग्य होने की रिपोर्ट भी अंकित है।

अपीलार्थीगण ने अपील में यह कथन किया है कि "वादग्रस्त कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान् के मध्य कभी भी नहीं हुआ है। प्रत्यर्थीगण से मिलकर पटवारी हल्का द्वारा छलपुर्वक खसरा संख्या 1005 तथा 1096 का गलत व विधि विरूद्ध तरीके से विभाजन स्टाम्प पत्र तैयार किया गया व अपीलार्थीगण के वुद्धावस्था तथा अनपढ होने का अनुचित फायदा उठाकर धोखे से विभाजन स्टाम्प पत्र व अन्य कागजात पर अंगुठा निशान करवाये है, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा विभाजन हेतु कोई सहमति नहीं दी है एवं अपीलार्थीगण अनपढ होने से कौनसी जमीन किसके हिस्से में आ रही है, इसकी भी कोई जानकारी अपीलार्थीगण नहीं दी गई तथा न ही अपीलार्थीगण कभी भी उप तहसीलदार, मण्डार के समक्ष उपस्थित हुये है।" इस संबंध में हमारा विनम्र मत यह है कि यदि अपीलार्थीगण के साथ प्रत्यर्थीगण एवं पटवारी द्वारा कोई धोखाधडी व छल कपट किया गया है तो उनके विरुद्ध अपीलार्थीगण सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकता है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नही की जा सकती है।

चूंकि प्रकरण में यह स्पष्ट है कि उक्त कृषि भूमि के सह खातेदारों के मध्य उनकी उक्त कृषि भूमि का सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण, अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)